बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः— राज्य के जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में कार्यरत ''ममता'' रखने के संबंध में ।

राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संस्थागत प्रसव के बाद माता एवं नवजात शिशु की देख–भाल के लिए विभागीय संकल्प सह ज्ञापांक 497(12) दिनांक 20.08.09 के आलोक में कार्यरत ''ममता'' कार्यकर्ता (एक स्वैच्छिक महिला कार्यकर्ता) को राज्य सरकार द्वारा 100/–रूपये प्रति प्रसव की दर से वहन किया जाता है ।

2. उक्त संकल्प के अनुसार सभी जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल में कार्यरत ''ममता'' के प्रोत्साहन राशि (100/–रूपये प्रति प्रसव) का भुगतान NIPI(Norway-India Partnership Initiative) के द्वारा किया जाता रहा है ।

3. 30 जून, 2011 के पश्चात राज्य के 35 जिलों (तीन जिला यथा–शेखपुरा, जहानाबाद एवं नालंदा को छोड़कर) के सदर एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में ममता कार्यकर्ता के उक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान NIPI के द्वारा बंद कर दिया गया है । वर्णित 35 जिलों के 44 स्वास्थ्य संस्थानों के 599 ममता कार्यकर्ता का 01 जुलाई, 2011 से दिनांक 31.03.12 तक की अवधि में अनुमानित प्रसवों के आधार पर कुल 1,80,00,000/–(एक करोड़ अस्सी लाख) रू0 की प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

4. उक्त राशि का वहन मांग संख्या–20 मुख्यशीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, एलोपैथी–110 अस्पताल तथा औषधालय–0013 सदर एवं अनुमंडल अस्पताल विपत्र कोड–एन0–2210011100013 के अन्तर्गत 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ के अन्तर्गत वहन किया जायेगा ।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपर्युक्त संकल्प की पांच सौ प्रतियां बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए तथा विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

28/3/12

(बिमला प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–12/प0–8–11/09 - 318 (12)/पटना, दिनांक – 28.3.12.

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । निदेश है कि इस संकल्प की पांच सौ प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

28/3/12

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–12 / प0–8–11 / 09 - 318(12) / पटना, दिनांक – 28.3.12,
प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/3/12

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–12 / प0–8–11 / 09 - 318(12) / पटना, दिनांक – 28.3.12,
प्रतिलिपि–मुख्यमंत्री सचिवालय / मुख्य सचिव के सचिव / विकास आयुक्त के सचिव / मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के आयुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

28/3/12

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–12 / प0–8–11 / 09 - 318(12) / पटना, दिनांक – 28.3.12,
प्रतिलिपि–सरकार के सभी विभाग / स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी / सभी जिला उप विकास आयुक्त / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना / सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं / सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/3/12

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–12 / प0–8–11 / 09 - 318(12) / पटना, दिनांक – 28.3.12
प्रतिलिपि– अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–7) / प्रशाखा पदाधिकारी–7, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/3/12

सरकार के संयुक्त सचिव ।